204

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : श्री एम0के0 सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 974–तीन/2009 – विरूद्व आदेश दिनांक 29 जून, 2009 – पारित व्दारा अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना – प्रकरण कमांक 38/2007–08 निगरानी

1– रूप सिंह 2– अभिलाख सिंह 3– सुरेन्द्रसिंह
तीनों पुत्रगण रामनारायण सिंह ग्राम बुधारा
तहसील पोरसा जिला मुरैना मध्य प्रदेश ———आवेदकगण

विरूद्व

1– राजकुमार सिंह पुत्र घमण्डी सिंह
2– भीमसेन पुत्र गजू सिंह
3– बच्चू सिंह पुत्र छुट्टन सिंह
ग्राम बुधारा तहसील पोरसा जिला मुरैना ———अनावेदकगण

(आवेदक की ओर से श्री एस0के0बाजपेयी अभिभाषक)
(अनावेदक क–1 की ओर से श्री एस0के0अवस्थी)
(अनावेदक क–2,3 सूचनाउपरांत अनुपस्थित–एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 18 – 11 – 2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 38/2007–08 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 25–6–2009 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत हुई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि जगनाथ सिंह पुत्र खुमान सिंह के नाम ग्राम बुधारा में आराजी कमांक 524 एंव 525 है इसी भूमि के सम्बन्ध में आवेदकगण ने तहसीलदार पोरसा को आवेदन देकर बताया कि संबत 2030 में रू. 5000/–प्रीमियम लेकर 50 वर्ष के लिये नाथू सिंह, बच्चूसिंह ने भूमि जुताई थी तभी से वह काविज होकर खेती कर रहे है इसलिये म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 190 सहपठित

110 के तहत उनका नामान्तरण किया जावे। तहसीलदार पोरसा ने प्रकरण कमांक 53/2003–04 अ–6 पंजीबद्व किया एंव सुनवाई करके दिनांक 22–7–04 को आदेश पारित किया तथा उक्तांकित भूमि आवेदकगण के नाम दर्ज करने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी अम्वाह के समक्ष अपील कमांक 64/2005–06 प्रस्तुत हुई। 'अनुविभागीय अधिकारी ने अंतरिम आदेश दि. 1–7–2006 से स्थगन आदेश जारी किया। इस आदेश के विरूद्व अपर कलेक्टर मुरैना के समक्ष निगरानी कमांक 45/06–07 प्रस्तुत हुई। अपर कलेक्टर ने आदेश दिनांक 25–10–2007 से निगरानी निरस्त कर दी। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के समक्ष निगरानी प्रकरण कमांक 38/2007–08 प्रस्तुत होने पर आदेश दिनांक 25–6–2009 से निगरानी निरस्त की गई। इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से प्रकरण में देखना है कि क्या अनुविभागीय अधिकारी अम्वाह ने अंतरिम आदेश दिनांक 1–7–2006 से स्थगन आदेश जारी करने में किसी प्रकार की त्रृटि की है ? म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 52 में प्रावधान है कि

धारा 52 – आदेशों के निष्पादन का रोका जाना –

(1) राजस्व अधिकारी, जिसने कोई आदेश पारित किया हो या उसका पद – उत्तरवर्ती अपील या पुनरीक्षण के लिये विहित की गई कालावधि का अवसान होने के पूर्व, किसी भी समय, यह निदेश दे सकेगा कि ऐसे आदेश का निष्पादन उतने समय तक के लिये रोक दिया जाए जो अपील या पुनरीक्षण फाइल करने तथा अपील या पुनरीक्षण प्राधिकारी से रोक आदेश अभिप्राप्त करने के लिये अपेक्षित हो।

(2) अपील या पुनरीक्षण प्राधिकारी, किसी भी समय, यह निदेश दे सकेगा कि उस आदेश का जिसकी कि अपील की गई है या जिसके कि विरूद्व पुनरीक्षण किया गया है, निष्पादन उतने समय तक के लिये रोक दिया जाए जितना कि वह ठीक समझे।

तात्पर्य यह है कि अपील प्राधिकारी स्वविवेक से एंव प्रकरण की परिस्थितियों के आधार पर स्थगन आदेश दे सकता है अथवा नहीं दे सकता — यह प्रकरण की परिस्थितियों एंव अपील प्राधिकारी के स्वविवेक पर निर्भर है। विचाराधीन प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी ने अपील प्रकरण में परिस्थितियों का आकलन करके स्थगन आदेश दिनांक 1—7—2006 को जारी किया है, जिसे परीक्षण उपरांत अपर कलेक्टर मुरैना ने आदेश दिनांक 25—10—07 में एंव अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण क्रमांक 38 / 2007—08 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 25 जून 2009 में हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है। तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों के अवलोकन पर उनके व्दारा निकाले गये निष्कर्ष समवर्ती है जिसके कारण इस निगरानी में हस्तक्षेप का कोई औचित्य नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण क्रमांक 38 / 2007—08 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 25 जून 2009 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

(एम०के०सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर